तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2.03.21

दोनो पक्षों के वकील उपास्थित प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का जवाब विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश नहीं किया जाने पर मौखिक बहस सुनी गई प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया जिसका पुरजोर विरूद्व विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रकरण को लम्बा करने के नियत से पेश किये जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया जिस पर प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया बाद मनन प्रार्थना पत्र व पत्रावली अवलोकन उपरोक्त प्रार्थना पत्र टंकण त्रूटि होना बताया जाकर पेश किये जाने एवं प्रार्थना पत्र में अन्य किसी प्रकार के तथ्य जोडने इत्यादि के बारे में कथन नहीं किये जाने से उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण के तथ्यों के देखते हुए उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त त्रूटि को लाल स्याही से दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

पत्रावली पर पेश दुरूस्ती प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 व अन्तर्गत धारा 5 परिसीमना धारा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब विप्रार्थी के द्वारा पेश किये जाने से उपरोक्त पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत होने से विप्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम पर दोनो पक्षो को सुना गया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम में वर्णित प्रार्थना पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुये उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी व उसके अनुपस्थित में प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी मे निस्तारित होने से उपरोक्त आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं होने एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा सुनवाया रोज उनके द्वारा उपस्थित होने की सूचना प्रार्थीगण को नही देने से प्रार्थीगण पेशी रोज सुनवाई तारीख का ज्ञान न होने के अभाव में उपस्थित नही हो सका जो तमाम गलत प्रार्थीगण के अधिवक्ता की गलती से हुई है साथ ही प्रार्थीगण द्वारा लम्बे समय बाद उपरोक्त प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही बाबत पूछताछ की तो ज्ञात हुआ की प्रार्थीगण के अधिवक्ता लम्बे समय से न्यायालय श्री में उपस्थित नही हो रहे है तब प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रकरण की जानकारी हेतु नकले प्राप्त की जो दिनांक 23.01.2019 को प्राप्त होने से उपरोक्त प्रकरण में किये गये आदेश अदम हाजिरी अदम पैरवी की जानकारी हुई है जिसकी जानकारी होते ही प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् के समक्ष प्रकरण को पुनः सुनवाई में लिये जाने हेतु प्रकरण पुनः पेश किये है प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने में सदभा[illegible] में कन्डोन की जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई में [illegible] साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना [illegible] न्यायालय द्वारा पारित निर्णय [illegible] DNJ [illegible]स्थान) 2010 पेश संख्या 201 पेश कि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:56 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का प्रार्थ[illegible]त्र का खण्डन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र के अनुरूप प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया साथ ही विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय की नजीरात DNJ (राजस्थान) 1999 पेश संख्या 56 पेश की व कथन किया कि प्रार्थीगण का अचारण प्रकरण को देरी न

करने से पेश होने से पूर्व में श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त प्रार्थना पत्र कानून की नजर में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने में सदभाविक देरी न कर प्रकरण जानबूझकर लम्बा करने के नियत से बार–बार प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को लम्बा किया जा रहा है।

दोनो पक्षो को सुना गया पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन करने पर उपरोक्त प्रकरण विप्रार्थीगण की तलबी हेतु लम्बित है जिसमें प्रार्थीगण के अधिवक्ता अदालत के समक्ष उपस्थित हो रहे थे मगर दिनांक 12.08.2016 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं प्रार्थीगण उपस्थित नहीं होने से उपरोक्त प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी मे निरस्तारित किया गया चूंकि प्रकरण तलबी हेतु नियत होने से प्रार्थीगण की उपस्थित आवश्यक नहीं थी एवं सुनवाई रोज प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी में निरस्तारित किया गया इसके अलावा माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर द्वारा दिनांक 20.05.2010 की पालना भी शेष होने से एवं विप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उपरोक्त प्रकरण मे विधि के सुस्पष्ट सिद्वान्तो के अनुरूपो दोनो पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं हो पाया जिससे विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे पेश नजीरात एवं जवाब के अनुरूप प्रार्थीगण के अधिवक्ता की गलती के लिये प्रार्थीगण को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता तथा उपरोक्त प्रकरण में हुई देरी ना सदभाविक प्रतीत होती है जिससे प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम उनके द्वारा पेश नजीरात के अनुरूप कानूनन स्वीकार करना उचित प्रतीत होने से उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है साथ ही प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 सीपीसी का जवाब पेश होने से भी उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर भी दोनो पक्षकारान की सुनवाई की गई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये पत्रावली विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत होने एवं उपरोक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर पैरोकारी हेतु पुनः दिशा निर्देश दिये जाने से प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.08.2016 को प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी में निस्तारित होने से मूल अनवान में दिनांक 16.09.2013 मे पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुये प्रकरण को पुनः सुनवाई मे लिये जाने मे प्रार्थीगण को न्यायोचित अवसर प्रदान करने का निवेदन किया साथ ही प्राथीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की नजीरात RRT 2014 (2) पेज संख्या 881 पेश की ।

विप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये माफिक जवाब प्रार्थ[illegible] निवेदन किया एवं कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण मे [illegible] जानबूझकर प्रकरण को लम्बित [illegible] भी प्रार्थीगण द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को निरस्त [illegible] किया था जिसमे प्रार्थीगण के [illegible] की अनुपस्थित मे उपरोक्त प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी अदम पैरवी मे निस्तारित किया गया था तथा पुनः उन्ही तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। जिससे पत्रावली पर पेश प्रार्थीगण के पूर्व आचरण को देखते हुये उपरोक्त प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त नहीं किया जा सकता । विप्रार्थी संख्या 5 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:56 IST
Reason: SelfAttested

7 द्वारा प्रकरण को पुनः सुनवाई में लिये जाने बाबत आपत्ति पेश नही करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु सहमति दी पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया उपरोक्त प्रकरण माननीय राजस्व अपील न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनवाई का पूर्ण न्यायोचित अवसर प्रदान करते हुये पत्रावली में उचित निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया था जिसमें पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु लम्बित थी मगर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) उपस्थित नहीं होने से उनके विरोध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त प्रकरण में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2013 को पारित की गई है जिसकी अपील प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) द्वारा नहीं की जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई में लिये जाने हेतु एवं एकपक्षीय निर्णय व डिक्री अपास्त का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत था जिसमें सुनवाई रोज प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी मे निस्तारित होने से उपरोक्त प्रकरण मे माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा परित निर्णय दिनांक 20.05.2010 की पालना नहीं हुई है जिससे उपरोक्त प्रकरण मे दोनो पक्षों को सुनवाई कर पूर्ण न्यायोचित अवसर प्रदान नहीं हुये है तथा प्रकरण प्रार्थीगण के अधिवक्ता की गलती की वजह से अदम हाजिरी अदम पैरवी मे निस्तारित होने से उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को सुनवाई पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं होने से प्रार्थीगण साम्या के सिद्वान्त के अनुरूप न्याय की पालना वंचित रह जायेगे जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है प्रार्थीगण द्वारा पेश नजीरत भी उपरोक्त प्रकरण पर पूर्ण चस्पा होने से प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 व अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 स्वीकार कर दिनांक 16.09.2013 प्रकरण संख्या 140/ 10 (110/2007) मे पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है व राजस्व रेकर्ड में पूर्व की स्थिति कायम रखने के आदेश दिया जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई में लिये जाने के आदेश दिये जाते है पत्रावली पुनः पूर्व माफिक साक्ष्य वादी हेतु नियत रखी जावे । पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना